

भारत सरकार के ऋण की स्थिति

वर्ष 2009-2010 के अंत में भारत सरकार के बकाया आंतरिक और विदेशी ऋण और अन्य देनदारियों की राशि 2008-2009 (सं.अ.) के अंत तक 31,35,775.42 करोड़ रुपए की तुलना में, 34,06,322.48 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2009 को	31 मार्च, 2010 को
आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	3014141.30	3268641.79
जिसमें बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत	88772.78	40736.78
विदेशी ऋण	121634.12	137680.69
जोड़	3135775.42	3406322.48

आंतरिक कर्ज के अंतर्गत खुले बाजार में जुटाए जाने वाले ऋण, रिजर्व बैंक को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें केवल राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य पार्टियों के नाम जारी की गई 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों सहित राजकोषीय हुंडियां तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, अफ्रीकी विकास निधि/बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, निर्व्याज रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2007-08 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में तथा 2008-09 और 2009-2009 के अंत तक की सरकारी कर्जों की अनुमानित बकाया रकमों का विश्लेषण नीचे **देनदारी विवरण** में दिया गया है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अप्रैल 2004 से बाजार स्थिरीकरण योजना शुरू की है। इस योजना में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अन्तर्प्रवाहों से मुख्यतः उत्पन्न अतिरिक्त नकदी को आत्मसात करने के लिए राजकोषीय हुंडियों और/या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने की संकल्पना की गई है। केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार 2007-08 के दौरान किसी एक समय में बकाया देनदारियों को घटाकर 2,50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था (दिनांकित प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य सह राजकोषीय हुंडियों का बट्टागत मूल्य)। वर्ष 2008-09 के लिए उच्चतम सीमा 2,50,000 करोड़ रुपए नियत की गई है। बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत बाजार ऋणों, 91/182/364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों से संबंधित अनुमानित बकाया देनदारियों को देनदारी विवरण में अलग-अलग दर्शाया जाता है। आंतरिक और विदेशी कर्ज दोनों के अंतर्गत बकाया राशियां सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती हैं जैसाकि जिसे बकाया कर्ज के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। विदेशी देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन परम्परागत विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई वापसी-अदायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया है।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न अल्प बचत योजनाओं, भविष्य निधियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यहास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों, स्थानीय निधियों की जमा राशि और सिविल जमा रकमों की बकाया राशियों की वापसी-अदायगी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा भी देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2007-08 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, गारंटियों से सम्बद्ध विवरण में दी गयी है।

दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, को भी शामिल किया गया है।

परिसम्पत्तियों के विवरण में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में हास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है, शामिल नहीं हैं।

बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत उधारों से प्राप्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक अलग व पहचान योग्य खाते में नकद शेष के रूप में रखा जा रहा है। ये प्राप्तियां बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत जारी राजकोषीय हुंडियों/दिनांकित प्रतिभूतियों की वापसी अदायगी के अतिरिक्त सरकार के कोई अन्य खर्च पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। तदनुसार, एमएसएस के अंतर्गत अनुमानित नकद शेष को परिसंपत्तियों के विवरण में अलग से दर्शाया गया है।

अनुबन्ध - 3(i)

केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

के अन्त में :

	1950-51	2004-2005	लेखे 2005-2006	2006-2007	2007-2008	संशोधित 2008-2009	बजट 2009-2010
क लोक ऋण	2054.33	1336848.75	1484001.33	1647690.71	1920390.09	2136085.29	2408502.48
1. आंतरिक ऋण	2022.30	1275971.30	1389758.29	1544975.17	1808359.17	2014451.17	2270821.79
जिसमें बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत		64211.16	29062.17	62973.95	170553.77	88772.78	40736.78
(i) बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत							
(क) दिनांकित प्रतिभूतियां		25000.00	11000.00	22000.00	128317.00	79772.78	40736.78
(ख) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां		19247.88	...	14208.97	9631.77	...	...
(ग) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां		...	2917.21	7675.28	7605.00	...	...
(घ) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां		19963.28	15144.96	19089.70	25000.00	9000.00	...
(ii) बाजार ऋण (अनुबंध 4 देखें)	1444.95	758994.65	862370.08	972800.89	1092467.57	1358939.57	1677586.57
(iii) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां (अनुबंध 4क के अनुसार)	...	111817.95	103817.95	100317.95	91317.95	86817.95	76817.95
(iv) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां (बैंकों को) (अनुबंध 4ख के अनुसार)	...	...	...	...	20808.75	20808.75	20808.75
(v) भारतीय रिजर्व बैंक को जारी अन्य विशेष प्रतिभूतियां	...	1517.24	1489.28	1489.28	1489.28	1489.28	1489.28
(vi) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	14606.74	39339.53	39475.31	68629.79	58452.41	58452.41
(vii) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	358.02	8337.68	16363.83	30801.70	30371.05	74091.28	74091.28
(viii) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	...	6771.37	9255.69	9180.00	28570.00	28570.00
(ix) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	26147.55	29014.42	33368.70	32201.39	36768.54	36768.54
(x) क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	6.73	66423.55	72760.38	62091.69	71321.19	47315.07	32385.01
(xi) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	212.60	21644.17	25151.61	25798.49	24719.40	15803.06	15736.58
(xii) लघु बचतों के एवज में प्रतिभूतियां	...	202270.61	203617.67	206601.52	195299.03	196622.48	207378.64
2. विदेशी ऋण*	32.03	60877.45	94243.04	102715.54	112030.92	121634.12	137680.69
ख. अन्य देनदारियां	811.07	657572.82	776143.72	890905.25	917035.29	999990.13	998120.00
1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	336.87	329759.50	413498.83	468009.62	478289.52	476593.00	465836.84
2 राज्य भविष्य निधियां	95.05	60717.01	66262.14	71439.92	75330.22	80130.22	85130.22
3 अन्य खाते	16.10	174107.16	186920.97	220160.41	236372.57	320508.31	318700.48
(i) गैर-सरकारी भविष्य निधियों आदि की विशेष जमाराशियां	...	118640.96	118256.90	117697.77	116451.90	116451.90	116451.90
(ii) अन्य मदें	16.10	55466.20	68664.07	102462.64	119920.67	204056.41	202248.58
4 प्रारक्षित निधियां और जमाराशियां	363.05	92989.15	109461.78	131295.30	127042.98	122758.60	128452.46
(i) सब्याज	260.85	46202.79	53649.96	62704.80	73055.56	72601.25	76708.04
(ii) निर्व्याज	102.20	46786.36	55811.82	68590.50	53987.42	50157.35	51744.42
जोड़-देनदारियां	2865.40	1994421.57	2260145.10	2538595.96	2837425.38	3136075.42	3406622.48
विभाजन-पूर्व ऋण में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	2565.40	1994121.57	2259845.10	2538295.96	2837125.38	3135775.42	3406322.48
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिव्यय और ऋणों का आधिक्य	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (निवल)	2565.40	1994121.57	2259845.10	2538295.96	2837125.38	3135775.42	3406322.48

* शेष राशियां खाता मूल्य के अनुसार हैं।

**परिसम्पत्तियों का विवरण
(केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश और ऋण)**

(करोड़ रुपए)

के अन्त में :

	1950-51	2004-2005	लेखे 2005-2006	2006-2007	2007-2008	संशोधित 2008-2009	बजट 2009-2010
क. पूंजी परिव्यय							
1. सामान्य सेवाएं	496.74	204829.87	239862.48	276278.03	317830.03	365032.31	429288.01
(i) रक्षा सेवाएं	260.93	188010.43	220348.31	254176.55	291638.30	332638.30	387462.30
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	235.81	16819.44	19514.17	22101.48	26191.73	32394.01	41825.71
2. सामाजिक सेवाएं	26.25	9777.13	10558.58	11709.16	13473.71	16201.26	18724.64
3. आर्थिक सेवाएं	965.02	272552.81	292625.62	315295.19	391436.63	423312.15	450021.04
(i) कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	7.78	7788.98	7852.03	7944.66	8346.89	9117.23	9220.14
(ii) ग्रामीण विकास	...	27.03	29.13	31.35	53.05	53.55	54.80
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	...	3018.33	3074.19	3144.45	3227.10	4957.69	6819.00
(iv) जल और विद्युत विकास	5.59	...	...	...	...	...	...
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	...	311.51	324.60	340.96	357.28	374.32	386.82
(ख) ऊर्जा	...	54474.08	55621.46	57298.81	57874.78	58900.47	59595.77
(v) उद्योग और खनिज	34.34	38497.90	39854.39	42878.15	47871.82	50569.59	52798.07
(vi) परिवहन							
(क) रेलवे	817.93	62034.65	69846.11	77400.32	85534.87	94861.87	104461.87
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	12.47	35537.15	41384.55	46478.02	52733.84	58207.33	64002.24
(vii) संचार							
(क) डाक सेवाएं	49.98	1089.32	1358.51	1643.25	1733.88	1971.09	2368.19
(ख) दूरसंचार सेवाएं	...	4718.39	4718.39	4718.39	4718.39	4718.39	4718.39
(ग) अन्य संचार सेवाएं	...	615.02	631.59	703.74	1294.29	1995.17	2419.89
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	...	6512.58	7641.03	8772.78	10338.11	12078.22	14128.51
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	36.93	57927.87	60289.64	63940.31	117352.33	125507.23	129047.35
संघ राज्य क्षेत्रों के संवितरण	...	...	...	...	...	1478.01	2900.21
कुल जोड़	1488.01	487159.81	543046.68	603282.38	722740.37	806023.73	900933.90
(ख) ऋण की वसूली घटाकर केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण							
राज्य सरकारों को	195.58	160045.09	157003.93	146652.58	145098.17	145018.24	141171.03
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	...	1123.40	1019.91	1003.00	973.22	933.74	894.26
विदेशी सरकारों को	0.01	3135.60	3413.31	3455.72	3294.82	3972.03	3714.49
राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	301535.72	391302.21	452063.88	458891.92	462018.85	473762.69
सरकारी क्षेत्र के उद्यम, रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधियां, डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि, पत्तन न्यास, नगरपालिकाएं तथा सांविधिक निकाय, सहकारी और शैक्षणिक संस्थाएं, विस्थापित व्यक्तियों और निजी संस्थाओं आदि को	24.58	63869.41	67458.63	67769.32	66272.14	71974.71	76645.83
सरकारी कर्मचारियों को	0.51	2341.57	2139.14	1917.68	1721.40	1586.40	1451.40
जोड़	220.68	532050.79	622337.13	672862.18	678373.46	685503.97	697639.70
जोड़-पूंजी परिव्यय तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण	1708.69	1019210.60	1165383.81	1276144.56	1401113.83	1491527.70	1598573.60
ग. बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत नकद शेष	...	64211.16	29062.17	62973.95	170553.77	88772.78	40736.78
कुल जोड़	1708.69	1083421.76	1194445.98	1339118.51	1571667.60	1580300.48	1639310.38
पूंजी परिव्यय तथा बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत नकद शेष सहित दिए गए ऋण की तुलना में देनदारियों का आधिक्य	856.71	910699.81	1065399.07	1199177.45	1265457.78	1555474.94	1767012.10
जोड़	2565.40	1994121.57	2259845.05	2538295.96	2837125.38	3135775.42	3406322.48

अनुबंध - 3(iii)

सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2007-08 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए)

श्रेणी	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)	वर्ष के दौरान आवेदित		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थानों जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट इत्यादि को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	40,399.36 (70)	38,083.91 (59)	2,315.45 (11)	1,924.14 (13)	0.11	...	38,475.11 (57)	188.70	27.91	...
2. शेयर पूंजी की वापसी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी/जुटाए गए बांडों/ऋणों, ऋण पत्रों की वापसी अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	23,504.84 (171)	22,004.84 (169)	1,500.00 (2)	3,370.86 (23)	195.50 (3)	...	19,938.48 (145)	84.76	42.72	...
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी ऋणदात्री संस्थाओं, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की वापसी अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और उधार के आधार पर सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों के लिए किए गये करारों के लिए भुगतान करने के लिए कंपनियों, निगमों/पत्तन न्यासों इत्यादि को प्रदान की गई गारंटियां।	49,465.34 (141)	36,145.56 (131)	13,319.78 (10)	3,509.85 (11)	...	...	45,838.41 (130)	209.53	195.92	31 मार्च 2008 को विदेशी मुद्रा में बकाया गारंटियों का रुपये में पुनः मूल्य-निर्धारण किया गया है।
4. कंपनियों/निगमों के पक्ष में, उधार के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्तियां/सेवाएं करने के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।	630.96 (18)	630.96 (18)	...	10.60 (9)	...	...	620.36 (9)	33.04	6.20	...
5. कंपनियों/निगमों द्वारा वसूले जाने वाली देयों/भाड़ा प्रभार का बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए रेलवे/राज्य बिजली बोर्डों को प्रदान की गई गारंटियां।	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(राशि करोड़ रुपए में)										
श्रेणी	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)	वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण		
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई	प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. विदेशों में भारतीय कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।	...	...	...	...	...	...	...	1.67	...	...
7. विदेशों में विदेशी कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. अन्य।	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	114,000.50	96,865.27	17,135.23	8,815.45	195.61	...	104,872.36	517.70	272.75	...
	(400)	(377)	(23)	(56)	(3)		(341)			

कोष्ठकों में आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणी:

- उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित हैं। आगे रिकार्डों का मिलान करने के कारण हुए परिवर्तनों को आंकड़ों में समायोजित किया जा सकता है।
- 01.04.2007 की स्थिति के अनुसार अथशेष और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार अंतशेष में हुआ परिवर्तन जैसा कि बजट 2008-2009 में सूचित किया गया है, आंकड़ों के सामंजस्य के कारण हुआ है।

अनुबन्ध - 3(iv)

परिसम्पत्ति रजिस्टर
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन

(रिपोर्टिंग वर्ष 2007-08, के अंत की स्थिति के अनुसार)
 लागत (करोड़ रु. में)

	2007-08 के आरंभ में परिसम्पत्तियां	वर्ष 2007-08 के दौरान अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	वर्ष 2007-08 के अंत में परिसम्पत्तियों का संचयी योग
भौतिक परिसम्पत्तियां:			
भूमि	115796.90	100.09	115896.99
भवन			
कार्यालय	12488.16	697.29	13185.45
रिहायशी	6821.81	1399.12	8220.93
सड़कें	4271.60	60.36	4331.96
पुल	2790.93	81.97	2872.90
सिंचाई परियोजनाएं	201.08	43.09	244.17
विद्युत परियोजनाएं	184.99	0.81	185.80
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	1665.19	124.33	1789.52
मशीनरी और उपस्कर	8091.04	580.95	8671.99
कार्यालय उपस्कर	1644.31	306.40	1950.71
वाहन	1477.42	147.04	1624.46
जोड़	155433.43	3541.45	158974.88
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
इक्विटी निवेश			
शेयर	125729.85	10614.82	136344.67
बोनस शेयर	13.81	2.77	16.58
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ऋण*	148033.11	-832.72	147200.39
विदेशी सरकारों को ऋण	2046.06	-141.70	1904.36
कम्पनियों को ऋण	44246.09	-2439.90	41806.19
अन्य को ऋण	9654.61	1845.37	11499.98
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे **	77564.48	8134.56	85699.04
अन्य	50840.18	798.48	51638.66
जोड़	458128.19	17981.68	476109.87
कुल जोड़	613561.62	21523.13	635084.75

* बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर राज्य सरकारों को अब कोई उधार नहीं देती है। अतः ये आंकड़े मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा ऋणों की निवल अदायगी को प्रदर्शित करते हैं।

** सामान्य राजस्वों से निवेश की गई पूंजी।

टिप्पणियां:

1. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं।
2. संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन और आंकड़े संग्रहित करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू परिसमापन/न्याय निर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं।
3. आंकड़े पूर्णांकित हैं।